छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र. –0771–4048788 फैक्सः 4073553

CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

क्रमांकः 13–स्था. / 21 / 04 / 2024 / 1755 दिनांकः 10 / 09 / 2024

निविदा जमा / प्रस्तुत करने की तिथि के विस्तार हेतु सूचना (निविदा क्रमांक 05 / 2024)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निविदा क्रमांक 05 / 2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग कार्यालय भवन एवं परिसर में लगे समस्त विद्युत उपकरणों के रखरखाव एवं संधारण कार्य हेतु "अ" श्रेणी के पंजीकृत इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाये दिनांक 20 / 08 / 2024 तक आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि एवं समय तक पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने के कारण उक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 05 / 09 / 2024 तक बढ़ाया गया था। **बढाई गई अवधि में भी पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने के कारण उक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 16 / 09 / 2024 तक बढाया जाता है।** संशोधित तिथि अनुसार निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय से दिंनाक 16 / 09 / 2024 दोपहर 1:30 बजे तक ₹200 / – में प्राप्त कर सकते हैं एवं निविदा आयोग कार्यालय में, स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से **दिनांक 16 / 09 / 2024 दोपहर 3:00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 16 / 09 / 2024 सायं 4:00 बजे** आयोग कार्यालय में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

10/9/24.
(मथुरा प्रसाद पटेल)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र. –0771–4048788 फैक्सः 4073553

क्रमांकः 13–स्था./21/04/2024/1701 दिनांकः 22/08/2024

निविदा जमा/प्रस्तुत करने की तिथि के विस्तार हेतु सूचना (निविदा क्रमांक 05/2024)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निविदा क्रमांक 05/2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग कार्यालय भवन एवं परिसर में लगे समस्त विद्युत उपकरणों के रखरखाव एवं संधारण कार्य हेतु "अ" श्रेणी के पंजीकृत इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाये दिनांक 20/08/2024 तक आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि एवं समय तक पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने के कारण **उक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 05/09/2024 तक बढ़ाया जाता है।** संशोधित तिथि अनुसार निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय से दिंनाक 05/09/2024 दोपहर 1:30 बजे तक ₹200/– में प्राप्त कर सकते हैं एवं निविदा आयोग कार्यालय में, स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से **दिनांक 05/09/2024 दोपहर 3:00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 05/09/2024 सायं 4:00 बजे** आयोग कार्यालय में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

22/8/24

(मथुरा प्रसाद पटेल)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

''विद्युत नियामक भवन''
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर — 492001
दूरभाष क्र. —0771—4050792 फैक्सः 4073553

निविदा क्रमांक — 05/2024

निविदा खोलने की तिथि —20/08/2024

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर स्थित
आयोग कार्यालय भवन एवं परिसर के
समस्त विद्युत उपकरणों के संधारण एवं रखरखाव कार्य हेतु निविदा

प्रति ,

मेसर्स ....
....
....
....

निविदा प्रपत्र का मूल्य—₹200/—(वापसी योग्य नही)

अमानत राशि—₹4500/—(वापसी योग्य)

सचिव
छ.ग.रा.वि.नि.आयोग
रायपुर

–:::: निविदा की सेवा शर्ते ::::–

1. **कार्य क्षेत्र–**

आयोग का सम्पूर्ण कार्यालय भवन, परिसर एवं संपूर्ण पार्किंग स्थल में लगे विद्युत उपकरणों जैसे ट्यूब लाईट, फैन, एम.सी.बी., आयोग के तीनो तलों पर लगे इलेक्ट्रिकल पैनल, मुख्य इलेक्ट्रिकल पैनल, सम्पूर्ण सोलर प्लांट की सफाई एवं इसके अतिरिक्त आयोग भवन में लगे अन्य इलेक्ट्रिकल उपरणों के रखराखव कार्य। उक्त रखरखाव कार्य में लगने वाली विद्युत सामग्री आयोग द्वारा प्रदाय की जावेगी।

2. कंडिका–01 में बताए गये कार्यों हेतु अनुभवी पुरूष इलेक्ट्रीशियन (आई.टी.आई. पास) की व्यवस्था निविदाकर्ता (ठेकेदार) को करनी होगी एवं किये जाने वाले कार्य की जॉच आयोग के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

3. **निविदाकर्ता हेतु आवश्यक आर्हता–**

(अ) निविदाकर्ता की संस्था (फर्म) (एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/ सोसायटी/ ट्रस्ट) के रूप में होना चाहिए। जो भारत के विधि के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।

(ब) निविदाकर्ता को राज्य शासन द्वारा जारी 'अ' श्रेणी का विद्युत अनुज्ञप्तीधारी (लायसेंस) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ब) उपरोक्त कार्य हेतु निविदाकर्ता की संस्था (फर्म) को कम से कम तीन वर्ष का शासकीय/निजी संस्था में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

(स) निविदाकर्ता को पैन, आयकर, जी.एस.टी. एवं ई.पी.एफ. आदि के दायरे में यदि आते हो तो रजिस्टर्ड (पंजीकृत) होना अनिवार्य है।

(द) निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निविदा के संबंध में चाहे गये समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4. **निविदा की वैधता–**

निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा की वैधता 90 दिनों की होगी एवं सफल निविदाकर्ता को उपरोक्त समयावधि के भीतर कार्यादेश जारी किया जावेगा।

5. **कार्य अवधि–**

निविदाकर्ता को आयोग कार्यालय में कार्यालयीन समय (सुबह 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे) पर 1 अनुभवी पुरूष इलेक्ट्रीशियन (आई.टी.आई. पास) व्यक्ति को प्रतिदिन उपलब्ध करना होगा। उक्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा विद्युत संधारण कार्य कंडिका 1 में दर्शाये अनुसार करना होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।

6. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी का कार्य अथवा आचरण नियोजित योग्य नही पाये जाने पर उन्हें तुरंत अलग करने का अधिकार आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा, जिसका ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से पालन करना होगा।

7. कर्मचारी को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन (श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर) एवं अन्य आवश्यक (Mandatory) भुगतान जैसे कि ई.पी.एफ., ई.एस.आई, अवकाश वेतन इत्यादि बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता होने पर कार्य में लगाये जाने वाले श्रमिकों का नियमानुसार पंजीयन व बीमा आदि करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस हेतु अलग से कोई राशि नहीं दी जावेगी। आयोग किसी भी कर्मचारी/निकाय को किसी भी मद में कोई भी राशि के भुगतान हेतु किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

8. ठेकेदार को प्रति माह देयक के साथ आयोग कार्यालय में नियोजित कर्मचारी की उपस्थिति सूची/पत्रक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। लगाये जाने वाले कर्मचारी के चाल–चरित्र की सम्पूर्ण जबावदारी ठेकेदार की होगी एवं कार्य के दौरान आयोग को होने वाले किसी भी क्षति की भरपाई हेतु ठेकेदार पूर्णतः जवाबदार होगा।

9. **<u>अमानत राशि–</u>**

उपयुक्त मापदंड अनुसार विद्युत संधारण कार्य की निविदा हेतु अमानत राशि (Earnest Money) ₹**<u>4500/– (चार हजार पांच सौ मात्र) नगद/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंकर्स चेक/ड्रॉफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के नाम से देय हो, निविदा आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</u>** निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत निश्चित समयावधि के भीतर असफल निवदाकर्ताओं को अमानत राशि वापस कर दी जावेगी। सफल निविदाकर्ता को उसके अनुरोध पर अमानत राशि वापस कर दी जावेगी/या उक्त राशि को सुरक्षानिधि में समायोजित कर दिया जावेगा।

10. निविदाकर्ता एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक **05/2024** अंकित हो तथा उस पर फर्म का नाम, व पते का स्पष्ट उल्लेख हो, जमा करेगा। उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगेः–

   1. **लिफाफा "A" अमानत राशि (Earnest Money)** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नगद राशि जमा करने की मनी रिसिप्ट।
   2. **लिफाफा "B"** निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित मूलप्रति एवं निविदा प्रपत्र में निविदा शर्तों से संबंधित चाहे गये समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
   3. **लिफाफा "C"** दरों से संबंधित विवरण/प्रस्ताव जो कि **'परिशिष्ट–अ'** में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में दर्शाना होगा।

प्रथमतः **लिफाफा "A"** खोला जावेगा। नियमानुसार अमानत राशि (Earnest Money) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नगद राशि जमा करने की मनी रिसिप्ट होने पर **लिफाफा "B"** खोला जावेगा एवं निविदा प्रपत्र में दर्शित निविदा शर्तों से संबंधित समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने एवं निर्धारित निविदा शर्तों को पूर्ण करने के उपरात ही **लिफाफा "C"** खोला जावेगा।

11. यदि दो निविदाकर्ताओं द्वारा समान दर भरी जाती है तो उसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

12. <u>**सुरक्षा निधि**</u>–ऐसे सफल निविदाकर्ता जिसको कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा को वार्षिक अनुबंध मूल्य की **5 प्रतिशत** राशि की **सुरक्षा निधि (Security Deposit)** कार्य आरंभ करने के पूर्व आयोग कार्यालय में नगद या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के नाम से देय हो, जमा करनी होगी।

13. उपरोक्त निविदा के तहत जारी किये गये कार्यादेश में दिये गये कार्यक्षेत्र में बढ़ोत्तरी या कमी आयेाग द्वारा की जा सकती है।

14. प्रत्येक माह की समाप्ति पर, ठेकेदार से प्राप्त मासिक देयक की राशि का भुगतान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा, परंतु शर्तों में वर्णित दंड आदि की वसूली यदि कोई हो तो, मासिक भुगतान से कटौती योग्य होगी। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर ₹500/– प्रतिदिन की दर आयेाग द्वारा कटौती की जावेगी। आयोग प्राप्त देयक का भुगतान धनादेश द्वारा या NEFT द्वारा करेगा। NEFT भुगतान हेतु निविदाकर्ता को आयोग में निरस्त धनादेश कार्यालय में जमा करना होगा।

15. **करो की कटौतीः–**

(अ) जीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रचलित नियम के तहत की जावेगी।

(ब) आयकर की कटौती मौजूदा प्रचलित दर के तहत की जावेगी।

नोटः– देय राशि पर करों की कटौती प्रचलित नियमों के अनुसार होगी

16. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकर्ता को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर से नान–जुडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध/करारनामा निष्पादित करना होगा, जिसके लिए आवश्यक स्टॉम्प शुल्क **₹100/–** केवल, निविदाकर्ता (ठेकेदार) को वहन करना होगा।

17. **उपरोक्त शर्तो के अधीन यह अनुबंध दो वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं अनुबंध अवधि में भरी गई दर में परिर्वतन नहीं होगा। अनुबंध अवधि को कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।**

18. यदि ठेकेदार द्वारा निविदा का अनुबंध करने के पश्चात् या निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पूर्व कार्य छोड़ा जाता है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण कार्य से हटाया जाता है तो उसके (ठेकेदार) द्वारा जमा सुरक्षानिधि राजसात करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को होगा।

19. आयोग को, बिना कारण बताये अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबंध के बीच में यदि अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उसके लिए

ठेकेदार को एक माह का नोटिस आयोग को देना होगा अन्यथा अनुबंध के समय जमा सुरक्षानिधि राजसात की जा सकती है।

20. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि भावपत्र भरने के पूर्व आयोग के भवन, परिसर एवं भवन में स्थित समस्त विद्युत उपकरणों का अवलोकन अवश्य कर लें।

21. विद्युत संधारण कार्य हेतु नियोजित कर्मचारी/कर्मचारियों को उपयुक्त सुरक्षा सामग्री एवं सुधार कार्य के लिए लगने वाले उपकरण प्रदान करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य निष्पादित करना अनिवार्य है, कार्य के दौरान विद्युतकर्मी से हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी।

22. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन न करने एवं विवाद की स्थिति में ठेका किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार आयोग को होगा।

23. आयोग की संपत्ति की क्षति/नुकसान होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्ता (ठेकेदार) की होगी एवं जिसकी भरपाई निविदाकर्ता (ठेकेदार) द्वारा की जावेगी।

24. उपरोक्त समस्त निविदा शर्ते एवं निविदा निरस्त एवं अनुबंध के संबंध में आयोग का निर्णय सर्वमान्य होगा।

25. निविदा प्रपत्र को ₹200/— नगद आयोग में जमाकर **दिनांक 20/08/2024 दोपहर 1:00** बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

26. निविदा आयोग कार्यालय में, स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से **दिनांक 20/08/2024 दोपहर 3:00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 20/08/2024 सायं 4:00 बजे** आयोग कार्यालय में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक
आयोग रायपुर

परिशिष्ट–अ

भाव पत्र

निविदा क्रमांक–05/2024

निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 20/08/2024 सांय 4:00 बजे

कार्य का नामः– **आयोग कार्यालय भवन एवं परिसर के विद्युत उपकरणों के रखरखाव एवं संधारण कार्य हेतु निविदा**

क्र.	विवरण	कार्य क्षेत्र	अनुबंध अवधि हेतु राशि एक मुश्त प्रति माह (₹)
1	2	3	4
01	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय भवन एवं परिसर में लगे विद्युत उपकरणों का संधारण एवं रखरखाव कार्य हेतु निविदा।	आयोग का सम्पूर्ण कार्यालय भवन एवं परिसर में संपूर्ण पार्किंग स्थल, में लगे विद्युत उपकरणों जैसे ट्यूब लाईट, फैन, एम.सी.बी., आयोग के तीनो तलों पर लगे इलेक्ट्रिकल पैनल, मुख्य इलेक्ट्रिकल पैनल, सम्पूर्ण सोलर प्लांट की सफाई एवं इसके अतिरिक्त आयोग भवन में लगे अन्य इलेक्ट्रिकल उपरणों के रखराखव कार्य। उक्त रखरखाव कार्य में लगने वाले विद्युत सामग्री आयोग द्वारा प्रदाय की जावेगी।	

नोट– (1) उपरोक्त कार्य हेतु लगाये गये विद्युत कर्मी को श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित मासिक भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(2) मैने भाव पत्र भरने के पूर्व आयोग के भवन, परिसर एवं भवन में स्थित समस्त विद्युत उपकरणों इत्यादि का अवलोकन कर लिया है।

(3) निविदा में उल्लेखित दर समस्त दरों को समावेशित करते हुए है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी राशि आयोग द्वारा देय नहीं होगी। जी.एस.टी. पृथक से देय होगा।

(4) आयोग उपरोक्त कार्य हेतु नियोजित कर्मचारियों के प्रति समस्त वैधानिक दायित्वों यथा न्यूनतम वेतन, बीमा आदि से विमुक्त होगा।

हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम ....

पता ....

..

निविदाकर्ता का नाम ....

मो. नं..